



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042023-245308
CG-DL-E-21042023-245308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1718]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

No. 1718]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ.1800(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 38(अ), तारीख 3 जनवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 7 में स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर "निदेशक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पुडुचेरी" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

[फा. सं. जे-17011/13/1999-आईए-III (भाग)]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 38(अ), तारीख 3 जनवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**ORDER**

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 1800(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 38(E), dated the 3rd January, 2022, namely:-

In the said notification, in Sl. No.7 for the entries in column (2), the entries “Director, Department of Science, Technology and Environment, Puducherry” shall be substituted.

[F. No. J-17011/13/1999-IA.III(Part)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change was published in the Gazette of India, Part II, Sector 3, Sub-Section (ii), vide under S.O. 38 (E), dated the 3rd January, 2022.